संख्या-262/2023/1584/22-2-2022-17(1174)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2023*

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी कैलाशा देवी पत्नी श्री रामलखन, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-17272/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-17-05-2022 दिनांक 28-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी कैलाशा देवी पत्नी श्री रामलखन, जो संदलपुर, थाना-छावनी, जनपद-बस्ती की निवासी है। सुशीला देवी उर्फ सुन्दरी से सुभाष निषाद का प्रेम सम्बन्ध था। इसी कारण दिनांक 02.02.2014 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से मारकर सुभाष निषाद की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-97/2014 में भा0द0वि0 की धारा 302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 28.08.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 13.02.2022 तक 08 वर्ष, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा महिला बन्दी की उम्र 57 वर्ष, महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 08 वर्ष 10 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष 09 दिन की भोगी गयी सजा के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी कैलाशा देवी (बन्दी संख्या-150/2015) पत्नी श्री रामलखन, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से महिला बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-262/2023/1584(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।